

हरियाणा वन जनगणना

चर्चा में क्यों?

पहली राज्य-व्यापी वृक्ष गणना के अनुसार, हरियाणा में नरिदष्टि वनों के बाहर लगभग 4.1 करोड़ पेड़ हैं, जिनमें नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगिरी सबसे सामान्य प्रजातियाँ हैं।

मुख्य बटु:

- **राज्य में हरति आवरण परबंधन** के संबंध में सुवजिज नरिणय लेने में अधिकारियों की सहायता के लिये लगभग 150 सरवेकषक, टैक्सोनोमिस्ट और तकनीकी करमचारी 13 महीने की अवधि के लिये परयोजना में लगे हुए थे।
 - यह वन कषेत्रों के बाहर प्रत्येक ज़िले में वृकषों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है। वृकषों की सबसे अधिक संख्या यमुनानगर, अंबाला, सरिसा, भविनी और हसिरा में पाई गई।
 - फरीदाबाद की गनिती सबसे कम थी, इसके बाद कुरुकषेत्र, पलवल, गुडगाँव और रोहतक थे।
- अपने कुल कषेत्रफल का केवल 6.7% हसिसा कवर करने वाले हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृकष कषेत्र है। [राष्ट्रीय वन नीति](#) का लकष्य प्रत्येक राज्य के लिये 20% कवरेज का है।
 - हरियाणा के 22 ज़िलों में से 21 में 20% से कम वन और वृकष आवरण है।
 - करनाल 1.8% के साथ सबसे नचिले स्थान पर है, पंचकुला 47.4% के साथ सूची में शीर्ष पर है और गुडगाँव 12.9% के साथ छठे स्थान पर है।
- **भारतीय वन सरवेकषण** की रपौरट के अनुसार, राज्य में वृकष आवरण में भी तेज़ी से गरिवट देखी जा रही है, वर्ष 2019 से 2020 तक वृकष आवरण (वन कषेत्र को छोड़कर) में 140 वर्ग कर्मी. की कमी आई है।
 - वन वभिग के अधिकारी जनगणना डेटा का उपयोग करके संरकषण प्रयासों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
 - वे इस तरक का समर्थन कर रहे हैं क सरकार कम-से-कम 25% पंचायत और सामान्य भूमिवृकषारोपण के लिये नरिधारति करे, संस्थानों को अपने कषेत्र का 33% वृकष कवर के तहत रखना चाहिये तथा शहरी स्थानीय नकियों को हैदराबाद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहरों में हरति स्थान वकिसति करने पर ध्यान केंद्रति करना चाहिये।
 - उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दया क वृकषों के अस्तति और वकिस को सुनश्चिति करने हेतु उनका उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय वन नीति

- भारत के वन वर्तमान में **राष्ट्रीय वन नीति, 1988** द्वारा शासति होते हैं
- इसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है।
- **मुख्य वशिषतारँ और लकष्य:**
 - पारसिथतिक संतुलन के संरकषण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थरिता को बनाए रखना
 - प्राकृतिक वरिसत का संरकषण (मौजूदा)।
 - नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण कषेत्रों में मृदा के कटाव तथा अनाच्छादन की जाँच करना।
 - राजस्थान के रेगसि्तानी इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीलों के वसितार की जाँच करना।
 - वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/वृकष आवरण में पर्याप्त वृद्धिकरना।
 - ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, मृदा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाना।
 - राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
 - वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहति करना।
 - कार्य के अवसरों का सृजन, महिलाओं की भागीदारी।

भारतीय वन सरवेकषण

- भारतीय वन सरवेकषण (FSI), देहरादून वर्ष 1987 से वन आवरण का **द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)** आकलन कर रहा है और

नषिकर्ष भारत राज्य वन रषिर्षट (ISFR) में प्रकाशति कयि जाते हैं ।

- ISFR 2021 के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग कलिमीटर है जो देश के भौगोलकि क्षेत्र का 24.62% है ।
- वशिष रूप से, यह ISFR 2019 मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग कलिमीटर की वृद्धिर्शाता है जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगतिका संकेत देता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/haryana-forest-census>

